न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	[illegible] 109/2020	
20/10/23	पत्राव[illegible] । वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अ[illegible] [illegible]र/अन्य कार्य मे व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16-11-23 को पेश हो।	
14/12/23	18-1-24	
18/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12-2-24 को पेश हो।	
01.02.24	वकील वादी की ओर प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई का पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील वादी को सुना जाकर प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई को न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने पर प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई स्वीकार किया जाता है तथा पत्रावली को आगामी पेशी 12.02.2024 से पूर्व सुनवाई की जाने हेतु दिनांक 05.02.2024 नियत की जाती है। इस बाबत पक्षकारान व वकील प्रतिवादीगण को तलबाना सम्मन/नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 05.02.2024 को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर	
05.02.2024	पत्रावली पेश हुई । वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई के नोटिस मय रजिस्टर्ड डाक रसीद व ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश किये गये । जिनक[illegible]वली किया गया । प्रकरण में प्रारंभिक [illegible] श्रीमाधोपुर के द्वारा पालना रिपोर्ट [illegible]रिये पत्रांक /भू0अ0/24/236 दिनांक 31.01.2024 प्राप्त [illegible] न्यायालय के समक्ष आज पेश हुई है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव शामिल पत्रावली रहे। प्रकरण के तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई स्वीकार किया जाता है । वकील वादी ने प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने की सहमति देते हुये पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये । प्रकरण तकास्मा से संबंधित है । जिसके संबंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर की ओर से विभाजन प्रस्ताव पत्रावली में पेश हुआ है । जिस पर उपस्थित वकील वादी एवं प्रतिवादीगण की बहुपक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील उभयपक्षकरान की बहुपक्षीय बहस पर मनन किया । प्रकरण में वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र डिक्री किया जाता है । प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

1

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक (अंतिम डिक्री)
109 / 2020	2020 / 00187	28.10.2020	05.02.2024

उनवान

1. रूड़ा पुत्र झूंथा जाति अहीर निवासी बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

— वादी—

बनाम

1. बचना पुत्र झूंथा –(मृत्तक)

1/1 सुन्दरी देवी पत्नी स्व. बचना

1/2 हंसा पुत्री स्व. बचना

1/3 मंजू पुत्री स्व. बचना

1/4 ममता पुत्री स्व. बचना

1/5 संतरा पुत्री स्व. बचना

1/6 प्रिया पुत्री स्व. बचना

1/7 कन्नू पुत्री स्व. बचना नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती सुन्दरी देवी

समस्त जाति अहीर निवासीगण बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

2. कमला देवी पुत्री प्रभाता
3. ग्यारसी देवी पुत्री प्रभाता
4. तीजा देवी पुत्री प्रभाता

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:24 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

5. प्रेम देवी पुत्री प्रभाता
6. मूली पुत्री प्रभाता
7. सुमित्रा पुत्री प्रभात
8. भागली देवी पत्नि प्रभात
जाति अहीर निवासीगण बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
9. विशालसिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
10. पटवारी पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
11. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
12. उप पंजीयक अजीतगढ़ जिला सीकर राजस्थान।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित : –

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 वादी अभिभाषक।

श्री विक्रम सिंह बांकावत एड0 प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 11

दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:24 IST
Reason: SelfAttested

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2337, 2338, 2339, 2340, 2343, 2344, 2561, 2562, 2563 कुल किता 9 कुल रकबा 2.62 हैक्टर तन् ग्राम

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

बुर्जा की ढाणी पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसमें वादी 1/3 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार हैं एवं शेष हिस्से के प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 की शामलाती कृषि भूमियां है। उक्त भूमियों का अभी तक कोई विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 के मन में वर्तमान समय में जमीनों की बढ़ती हुयी कीमतों के कारण बदयनियति आ गई है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 ता 9 द्वारा आये दिन अनावश्यक रूप से वादी से वाद–विवाद उत्पन्न किया जाता है तथा उक्त भूमि का समुचित रूप से काश्त के रूप में उपयोग करने में अवरोध कारित किया जाता है तथा बात–बात को लेकर झगड़े फिसाद करने पर प्रतिवादी नम्बर 1 ता 9 उतारू हो जाते है। इसलिये उक्त भूमि का वादी का प्रतिवादी नम्बर 1 ता 9 की शामिल खातेदारी में काश्त किया जाना असम्भव हो गया है तथा वादी अपनी आवश्यकतानुसार अपनी भूमि को समुचित विकास एवं उपयोग–उपभोग करने से महरूम हो रहा है। इसलिये उक्त वर्णित का कानूनन विभाजन कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 9 उक्त वर्णित भमि को बाला–बाला बिना विधिक या संतुलित रूप से बंटवारा करवाये ही उक्त भूमि में निर्माण कार्य करने एवं कृषि भूमि को दीगर भूमाफियों को विक्रय कर उनका कब्जा करवाने व भूमि के विशिष्ठ भाग पर निर्माण करने एवं कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करने की धमकियां दे रहा हैं व वादी को उसके हक हिस्से से महरूम कर बेदखल करने की धमकियां दे रहा है व कुचेष्टा कर रहा है जिसको शामलाती भूमि का बिना बंटवारा करवाये कोई भी अधिकार किसी प्रकार का नहीं है। वादी को प्रतिवादीगण ने काफी हैरान परेशान कर रखा है, कहने सुनने से प्रतिवादी नम्बर 1 ता 9 मान नहीं रहे है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी व प्रतिवादीगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:24 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अपनी उक्त भूमियों का कोई विधिक बंटवारा नहीं कर रखा है। इसलिए वादी ने उपरोक्त भूमियों का बंटवारा करवाने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो वे आजकल–आजकल करते रहें तथा दिनांक 26.10.2020 को प्रतिवादीगण ने उपरोक्त वर्णित भूमियों का कानूनी बंटवारा करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा बिना विधिक विभाजन के भूमियों के कीमती विशिष्ठ एवं उपजाऊ भाग पर जोर जबरन से अतिक्रमण करने एवं बिना कनर्वजन कराये विद्युत कनेक्शन लेने एवं बिना कनर्वजन कृषि भूमि को औद्योगिक रूप में काम में लेने का एवं निर्माण करने का व कब्जा करने व कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करने एवं दीगर व्यक्तियों को अन्तरित करने व उक्त भूमि में जबरन ताकत के बल पर निर्माण करने की एहलानियां धमकी देने से वादकारण पैदा हुआ है व लगातार हो रहा है। वादी द्वारा वादपत्र के माध्यम से अनुतोष इस प्रकार चाहा है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2337, 2338, 2339, 2340, 2343, 2344, 2561, 2562, 2563 कुल किता 9 कुल रकबा 2.62 हैक्टर तन् ग्राम बुर्जा की ढाणी पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 9 के मध्य हिस्से के अनुसार विधिक विभाजन करवाया जाकर अलग–अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किया जावें तथा अलग–अलग सींव कायम कर नक्शें में तरमीम करवाया जावें एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया।

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 की ओर से वकील श्री विक्रम सिंह बांकावत ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 का फौत होना जाहिर किये जाने व कायम मुकाम किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने पर वकील वादी ने प्रार्थना पत्र कायम मुकाम स्वीकार किये जाने हेतु सहमति व्यक्त करने पर प्रार्थना पत्र कायम मुकाम स्वीकार कर मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:24 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र संशोधित शीर्षक स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 की तामील करवाये जाने बावजूद कोई हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील वादी ने प्रकरण बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण मे पक्षकारान के विधिक हिस्से अनुसार विधिक विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया। जिस पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 की ओर से श्री विक्रम सिंह बांकावत एड0 ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमती व्यक्त की। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण मे प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु बहस बहुपक्षिय सुनी गयी। वकील वादी के निवेदन पर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु दिनांक 04.09.2023 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/ स्था/ प–51/2008/विविध/10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार मंगवाये जाने का निर्णय पारित किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में जरिये पत्रांक 3063/रीडर दिनांक 09.10.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जरिये पत्रांक भू.अ./24/236 दिनांक 31.01.2024 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय में पेश हुई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:24 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से मिस्ल तलब प्रार्थना पत्र के साथ शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश हुआ । जिस पर वकील वादीगण के प्रार्थना

05/02/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

... को बाद सुनवाई स्वीकार किया गया तथा पत्रावली में सुनवाई हेतु तारीख ... दिनांक 05.02.2024 नियत की गई । तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने प्रकरण के बटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से बहस सुनी जाकर प्रकरण निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी व प्रतिवादीगण द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया ।

हमने वकील वादी व प्रतिवादीगण की बहस बहु पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण काश्तकारी अधिनियम–1955 के अन्तर्गत धारा–53 बंटवारा के हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि वादी व प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रावधानों के अधीन कराये जाने की अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुरेंजात रिपोर्ट से वकील वादी व प्रतिवादीगण ने अपनी सहमति प्रकट की है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । प्रारम्भिक डिक्री ... में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:24 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
05/02/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

मे नाम दर्ज करने बाबत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

——::क्रियात्मक आदेश ::——

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किये गये बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पत्रांक भू.अ./24/236 दिनांक 31.01.2024 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है—

वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2074—77 में सहखातेदारी			
खातेदार का नाम मय वल्दियत एवं हिस्सा	**खसरा नम्बर**	**रकबा**	**किस्म**
कमला ग्यारसी प्रेम पुत्रियां प्रभाता हिस्सा 1/7 जाति अहीर सा. देह खातेदार, बचना पुत्र झूंथा हिस्सा 1/3 जाति अहीर राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरदासकाबास सा. देह खातेदार, रूडा पुत्र झूंथा हिस्सा 1/3 जाति अहीर राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा झाड़ली सा. देह खातेदार, विशालसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 2/21 जाति राजपूत सा. देह खातेदार, सुन्दरी देवी पत्नी बचनाराम हिस्सा 2/21 जाति अहीर सा. देह खातेदार	खाता नम्बर 199 के खसरा नम्बर 2340, 2343, 2561, 2562 कुल किता 4	1.34	बारानी 3
कमला ग्यारसी पुत्रियां प्रभाता हिस्सा 2/21 जाति अहीर सा. देह खातेदार, बचना पुत्र झूंथा हिस्सा 1/3 जाति अहीर राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरदासकाबास सा. देह खातेदार, रूडा पुत्र झूंथा हिस्सा 1/3 जाति अहीर राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा झाड़ली सा. देह खातेदार, विशालसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 5/21 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	खाता नम्बर 285 के खसरा नम्बर 2337, [illegible], [illegible], 2344, [illegible] कुल किता 5	1.28	बारानी 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:24 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रस्तावित विभाजन

खातेदार का नाम मय वल्दियत एवं हिस्सा	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
कमला ग्यारसी पुत्रियां प्रभाता हिस्सा 2/21 जाति अहीर सा. देह खातेदार, सुन्दरी देवी पत्नी बचनाराम, हंसा, मंजू, ममता, संतरा, प्रिया, कन्नू पि. बचनाराम हिस्सा 1/3 जाति अहीर राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरदासकाबास सा. देह खातेदार, रूडा पुत्र झूंथा हिस्सा 1/3 जाति अहीर राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा झाड़ली सा. देह खातेदार, विशालसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा 5/21 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	2338	0.04	बारानी 3
विशालसिंह पुत्र रतनसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार	2563 2562/1	0.37 0.0528 कुल रकबा 0.4228	बारानी 3 बारानी 3
रूडाराम पुत्र झूंथा हिस्सा पूर्ण जाति अहीर राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा झाड़ली सा. देह खातेदार	2337 2561 2562/3	0.45 0.25 0.1601 कुल रकबा 0.8601	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3
सुन्दरी देवी पत्नी बचनाराम हिस्सा 2504/9877, हंसा, मंजू, ममता, संतरा, प्रिया, कन्नू पि. बचनाराम हिस्सा 7373/9877 हि.ब.हि. जाति अहीर राहिन हिस्सा 8601/9877 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरदासकाबास सा. देह खातेदार	2339 2344 2562/2 2340/1 2343/1	0.22 0.20 0.4271 0.0950 0.0456 कुल रकबा 0.9877	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3
कमला, ग्यारसी पुत्रियां प्रभाता हिस्सा 2456/3094 हि.ब.हि., प्रेम पुत्री प्रभाता हिस्सा 638/3094 जाति अहीर सा. देह खातेदार	2340/2 2343/2	0.2350 0.0744	बारानी 3 बारानी 3

तहसीलदार श्रीमाध[illegible] विभाजन प्रस्ताव में सहवन से भूमि का क्षेत्रफल हैक्टर प्रण[illegible] गया है । इसलिये उक्त विभाजन प्रस्ताव में भूमि का क्षेत्रफल हैक्टर प्रणाली की हद तक दुरस्त किया जाकर विभजान प्रस्ताव के रकबा को हैक्टर प्रणाली के अनुसार राजस्व रिकोर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:24 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

में अंकित किया जावे । उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी एवं मौका स्थिति के अनुसार भूमि की किस्म अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर से जरिये पत्रांक भू.अ./24/236 दिनांक 31.01.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके साथ संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

05/02/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/02/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:24 IST
Reason: SelfAttested